

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या: 90 /XXX(2)/2016-30(51)15
देहरादून: दिनांक: 26 जुलाई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञाप संख्या 355 /XXX(2)/15-30(51)2016 दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 में संशोधन करते हुए सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल निम्नवत् संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने की संघर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	पदनाम	वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न
1	कनिष्ठ सहायक	32%	32%
2	वरिष्ठ सहायक	28%	28%
3	प्रधान सहायक	18%	18%
4	प्रशासनिक अधिकारी	10%	8%
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	10%	8%
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	2%	6%

2. जिन कार्यालयों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पूर्व से सृजित हैं, को संशोधित स्टाफिंग पैटर्न में समायोजित किया जाएगा।
3. कृपया अपने विभाग के संरचनात्मक ढाँचे में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उपरोक्त निर्णयानुसार संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुए विभागीय संरचनाओं का पुनर्गठन तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: /XXX(2)/2016-30(51)15 तद्विनाशित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलाध्यक्ष, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।